

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभागीय जानकारी

बिन्दु क्रमांक-1

1- कार्य एवं कर्तव्य :-

सहकारिता को लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करने एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए मान्यता दी गई है । आधुनिक परिवेश में परिवर्तन और विकास के दौर में सहकारी संस्थायें विश्वसनीय माध्यम बनी है । सहकारी विधान को नया स्वरूप प्रदान करने की दशा में पहल हो चुकी है ताकि सहकारिता नए आर्थिक, सामाजिक सदंर्भों में अपनी भूमिका, अधिक जवाबदारी और सक्षमता से निभा सके । सहकारिता विभाग की भूमिका इस नए परिप्रेक्ष्य में मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में होगी, ताकि सहकारिताओं और उनसे जुड़े किसान, मजदूर, बुनकर, मछुवारे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं विशेषतः महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया जा सके ।

पर्यवेक्षक और नियामक के रूप में विभाग का उत्तरदायित्व सहकारी संस्थाओं के संगठन, पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण, निरीक्षण कर उनकी आर्थिक स्थिति के सुदृढीकरण का है । जिले में लगभग 405 सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण, खाद, उन्नत बीज एवं अन्य कृषि आदान, शहरी साख, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास, मत्स्य, डेयरी, वनोपज, बुनकर, खनिज एवं औद्योगिक गतिविधियों का संचालन होता है ।

(1) संस्थाओं का पंजीयन एवं नियंत्रण

1- जिले में सहकारी संस्थाओं का पंजीयन छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 9 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है । बीस या इससे अधिक व्यक्तियों अथवा संस्थायें जिनके सदस्य हों, के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहकारी संस्था के पंजीयन बाबत आवेदन किए जाने पर, आवेदन का सूक्ष्म परीक्षण कर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर ही संस्था का पंजीयन किया जाता है । ऐसी संस्था का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक विकास के साथ, सदस्यों के सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है ।

पंजीकृत सहकारी संस्था अपने पंजीकृत उपविधियों में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा 11 तथा नियम 7 में दिए गए प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकती है । उक्त आवेदन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने पर उपविधि का संशोधन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अन्तर्गत स्वायत्त सहकारिता का पंजीयन किया जाता है । इस अधिनियम के तहत वित्तीय सोसायटी को छोड़कर जिले की कार्यक्षेत्र वाली संस्थाओं का पंजीयन जिला कार्यालयों में तथा शेष का पंजीयन, पंजीयक कार्यालय में किया जाता है ।

2- अधिनियम एवं नियम – सहकारी संस्थाओं के नियंत्रण

सोसायटी के पर्यवेक्षण एवं परिसंचालन हेतु निम्नानुसार अधिनियम, नियम प्रभावशील है :-

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960
2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962
3. छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1999

2- निर्वाचन :-

- 1- पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, सहकारी सोसाइटी नियम 1962, संस्था के उप नियम क प्रावधानों एवं समय-समय पर पंजीयक द्वारा जारी परिपत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाता है ।
- 2- स्वायत्त सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन संस्था द्वारा स्वयं कराया जाता है ।

3- अंकेक्षण से संबंधित कार्य :-

1. प्राथमिक स्तर की संस्थाओं का अंकेक्षण आबंटन आदेश जारी करना, अंकेक्षण टीप निर्गमित करना, अंकेक्षण शुल्क वसूल कराना अंकेक्षण टीपों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करना है ।
2. सहकारी संस्थाओं का समय पर अंकेक्षण करने, करवाने हेतु निरीक्षण / पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षकों पर नियंत्रण / पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षकों पर नियंत्रण हेतु अधिकारियों द्वारा संस्थाओं का समय-समय पर भेंट दिया जाता है ।
3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम एवं नियम और समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप अंकेक्षण कार्य सम्पन्न कराया जाता है ।
4. अकार्यशील सहकारी संस्थाओं को अधिनियम की धारा 69(2) के अनुरूप परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पन्न की जाती है ।
5. स्वायत्त सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1999 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं का अंकेक्षण संस्था स्वयं कराती है तथा अपनी आमसभा में प्रस्तुत करती है ।

4- विधि (सहकारिता न्यायालय)

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पंजीयक की नियुक्ति की गई है । पंजीयक की सहायता के लिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अपर पंजीयक और संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है । पंजीयक और अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक को अपीलीय प्रकरण सुनने के अधिकार है । उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयक को मूल वाद सुनने का अधिकार है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम 1962 एवं स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त अधिकारों को राज्य शासन अधिसूचना द्वारा जिले एवं मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों को

प्रत्यायोजित किया गया है । जिसके तहत जिला स्तर पर न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

5- विपणन :-

1. विभाग द्वारा जिला विपणन संघ, प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थायें, थोक उपभोक्ता भंडार , प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, कृषि आदान, पौध संरक्षण, विषयों से संबंधित कार्यों का निर्वहन किया जाता है ।
2. छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ रायपुर राज्य की सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज आदि की आपूर्ति के लिए राज्य स्तर पर एजेंसी के रूप में कार्य करता है । विपणन संघ उर्वरक कम्पनियों से खाद, बीज आपूर्तिकर्ताओं से बीज प्राप्त कर सहकारिता क्षेत्र में खाद एवं बीज की मांग की पूर्ति प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराता है । इस हेतु विपणन संघ के डबल लॉक केन्द्रों पर उर्वरकों एवं बीज का भण्डारण किया जाता है, जिसे प्राथमिक सहकारी समितियों के मांग पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है ।
3. यह सुनिश्चित किया जाता है कि कृषकों की मांग पर संबंधित खाद, बीज यथ समय उन्हें उपलब्ध हो सके ।
4. इसके साथ ही विपणन संघ, राज्य शासन के निर्देशानुसार अभिकर्ता के रूप में प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य करता है ।
5. प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां भी अपने सदस्यों एवं कृषकों को उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप खाद , बीज एवं कृषि यंत्र की आपूर्ति का कार्य करती है ।
6. प्राथमिक उपभोक्ता भंडार एवं थोक उपभोक्ता भण्डारों द्वारा सस्ती एवं उचित दरों पर खाद्यान्न सामग्री जन सामान्य को उपलब्ध कराती है एवं उपविधि के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है ।

6- योजना :-

1. जिले के विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त अंशपूजी ऋण ब्याज की वसूली ।
2. शासन द्वारा प्रदत्त आबंटन की राशि को विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को सहायता के रूप में ऋण, अंशपूजी में धनवेष्टन, बैंकों को विभिन्न प्रकार से चल रही योजनाओं के अन्तर्गत कम ब्याज दर पर कृषकों को ऋण देने के लिए सुविधाएं । विपणन संस्थाओं में अंशपूजी, अनुदान, प्राथमिक / लैम्पस कृषक सेवा सहकारी संस्थाओं की कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान व उपभोग ऋणों का प्रदान करना है ।

9- सामान्य :-

1. वनोपज, मत्स्य, सेरीकल्चर, औद्योगिक, हाथकरघा , बुनकर, गृह निर्माण से संबंधित सहकारी संस्थाओं के कार्यों की देखरेख एवं उनसे संबंधित आवश्यक संशोधन करना ।

10- स्थापना :-

1. जिले में उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के स्वीकृत पर अनुरूप कर्मचारी अमला पदस्थ है तत्संबंधी जानकारी संलग्न है ।
2. विभाग के अन्तर्गत पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है एवं उनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण किया जाता है ।

11- लेखा एवं देयक -

1. उप पंजीयक सहकारी संस्थायें राजनांदगांव का आहरण एवं संवितरण का अधिकारी उप पंजीयक राजनांदगांव को प्राप्त है उप पंजीयक द्वारा कोष संहिता 125 के अन्तर्गत सहायक पंजीयक राजनांदगांव को आहरण एवं संवितरण का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है जिसके तहत जिले में आहरित देयकों का आहरण किया जाता है ।
2. छ.ग. बुक आफ फाइनांशियल पावर 1995 वाल्यूम भाग एक के अनुसार राज्य शासन द्वारा जिला अधिकारियों (संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक (प्रशासन) एवं सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) कार्यालयों में पृथक-पृथक) को आहरण एवं संवितरण का अधिकार दिया गया है ।
3. लेखा देयक कक्ष में जी.पी.एफ. के प्रकरणों का निराकरण कर स्वीकृत किया जाता है जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त प्रकार के जी.पी. एफ. / एफ.बी.एफ / जी.आई.एस. प्रकरणों की स्वीकृति जिले स्तर से ही दी जाती है, जिसका आहरण संबंधित कार्यालयों से किया जाता है ।
4. मुख्यालय एवं जिलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि की जानकारी प्रत्येक वर्ष महालेखाकार छ.ग. को भेजा जाता है ।

विभाग के उत्तरदायित्व :-

सहकारिता विधान के अन्तर्गत प्रशासकीय दृष्टि से विभाग का मुख्य दायित्व छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अन्तर्गत संस्थाओं का सुचारु संचालन, सहकारी संस्थाओं का गठन, निरीक्षण, अंकेक्षण तथा शासकीय नीतियों का क्रियान्वयन आदि है । छ.ग. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के पंजीयन की कार्यवाही तथा अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व का निर्वहन करना ।

बिन्दु क्रमांक -2

2- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :-

1. पंजीयक सहकारी संस्थायें छ.ग. के अधीनस्थ समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों का विभागीय सेटअप स्वीकृत हो चुका है जो कि परिशिष्ट-अ में राजनांदगांव जिले का स्वीकृत सेटअप संलग्न है । पंजीयक सहकारी संस्थाएं का पद भा.प्र.से. का है । सहकारिता विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारी राज्य संवर्ग के हैं तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ग जिला संवर्ग के हैं ।

छ.ग. वित्तीय पुस्तिका 1995 में उल्लेखित विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों के तहत पंजी सहकारी संस्थाएं द्वारा एवं अधिनस्थ मुख्यालय एवं

जिला अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग की जाती है । वित्तीय अधिकार के अनुसार वित्तीय प्रकरणों तथा छ.ग. भण्डार कय नियमों का पालन करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया जाता है ।

सहकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारियों का प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. है । विभाग के प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में प्रशासकीय अधिकार शासन को प्रदत्त है । अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रशासकीय विभाग/ पंजीयक सहकारी संस्थाएं / जिला अधिकारियों द्वारा छ.ग. सिविल सेवा नियम 1961 (छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), 1966 छ.ग. सिविल आचरण नियम 1965, छ.ग. अवकाश नियम 1977 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों / परिपत्रों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप शास्ति अधिरोपण ।

- (1) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित प्रकरणों में – प्रशासकीय विभाग (सचिव, छ.ग.शासन, सहकारिता विभाग)
- (2) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के (अराजपत्रित) प्रकरणों में – विभागाध्यक्ष (पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग.)
- (3) चतुर्थ श्रेणी जिला संवर्ग के प्रकरणों में – जिला अधिकारी (जिला संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक)

2- **छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्राप्त अधिकार एवं शक्तियां:-**

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयक को विभिन्न अधिकार प्रदत्त हैं । पंजीयक के अधिकार शासन द्वारा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किए गए हैं ।
2. सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं के कार्य की देख रेख एवं आय व्यय का लेखा जोखा का परीक्षण एवं अंकेक्षण हेतु पंजीयक की सहायता के लिए अंकेक्षण बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें सहायक पंजीयक(अंकेक्षण), अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक एवं उप अंकेक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं, जो सहकारिता अधिनियम, नियम तथा पंजीयक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों / परिपत्रों के अन्तर्गत अंकेक्षण पूर्ण करने की कार्यवाही करते हैं ।
3. सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक को समस्त सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों के सेवा नियम निर्मित करने के अधिकार प्राप्त हैं ।

बिन्दु क्रमांक -3 निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्य प्रणाली - इसमें संनियंत्रण एवं जवाबदेही की व्यवस्था उल्लेखित हो :-

1. पंजीयक सहकारी संस्थायें छ.ग. के अन्तर्गत निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्य प्रणाली छ.ग. शासन द्वारा निर्मित नियमों के अधीन ही किया जाता है ।
2. छ.ग. वित्तीय अधिकार पुस्तिका में प्रदत्त अधिकार के अनुसार वित्तीय प्रकरणों / सामान्य भविष्य निधि नियम तथा छ.ग. भण्डारण कय नियमों का पालन करते हुए प्रकरणों को निष्पादन किया जाता है ।
3. प्रशासकीय विभाग / पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. द्वारा सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, छ.ग. अवकाश नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा पंजीयक द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है ।
4. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, एवं नियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयक को अधिकार प्राप्त है एवं पंजीयक के अधिकार शासन द्वारा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किए गए हैं ।

बिन्दु क्रमांक – 4 कार्य करने का निहित मापदण्ड :-

1. पंजीयक सहकारी संस्थायें छ.ग. के अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु जारी उत्तरदायित्व एवं कार्य निर्देशिका पूर्व में बिन्दु क्रमांक 2 के अनु.क्र. 1 एवं 2 में उल्लेखित अनुरूप ही कार्य करने का निहित मापदण्ड है ।
2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम 1962, संस्थाओं की उपविधि एवं सेवा नियम के अन्तर्गत कार्य संचालन का मापदण्ड निहित है ।

बिन्दु क्रमांक –5 विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, आदेशों, अभिलेखों, अधिनियमों, संहिताओं को तुरन्त उपलब्ध कराने हेतु तैयार करना –

1. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ.ग. द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 सहकारी संस्थाओं में लागू पंजीकृत उपविधि एवं सेवा नियम छ.ग. शासन द्वारा जारी नियम / निर्देश तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों / सहकारी संस्थाओं के लिए जारी आदेश/ निर्देश कार्यालय में उपलब्ध है ।
2. जिला स्तरीय सहकारी बैंक, प्राथमिक विपणन, गृह निर्माण, भंडार, मत्स्य , बुनकर पैक्स एवं लेम्पस संस्थाओं के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध है ।

बिन्दु क्रमांक –6 विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की सूची

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें राजनांदगांव में कार्य विभाजन एवं कार्य संपादन संबंधी दिशा-निर्देश अभिलेख का कक्षवार विभाजन निम्नानुसार है :-

1. स्थापना कक्ष
2. लेखा / देयक कक्ष
3. योजना - लेखा / बजट कक्ष
4. सामान्य / पंजीयन / निर्वाचन / परिसमापन कक्ष
5. विपणन कक्ष
6. विधि कक्ष
7. साख कक्ष
8. अंकेक्षण कक्ष

उपरोक्त कक्षों द्वारा संधारित नस्तियों / अभिलेखों का विवरण (परिशिष्ट- में संलग्न है)।

बिन्दु क्रमांक -7 निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्व-साधारण जनता से सलाह मशविरा करने की कोई व्यवस्था हो तो उसका उल्लेख -

इस विभाग अन्तर्गत कोई भी व्यवस्था नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक -8 काउन्सिल, बोर्ड, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हों उसका उल्लेख -

1. सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं । वर्तमान में जिले में पंजीकृत 89 कृषि साख सहकारी संस्थाओं में दो सदस्यों की सलाहकार समिति गठित की गई है जिनकी जानकारी संबंधित संस्थाओं में संधारित है ।
2. सहकारिता विभाग के अन्तर्गत काउन्सिल, बोर्ड, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जो दो या दो से अधिक सदस्यों से बनी है तथा आम जनता के लिए खुली हो, नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक -9 अधिकारियों व कर्मचारियों की डायरेक्ट्री -
विभाग अन्तर्गत पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों की डायरेक्ट्री संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक -10 अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां -

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जाने वाली कुल उपलब्धियों की जानकारी परिशिष्ट -स संलग्न है ।
बिन्दु क्रमांक -11 विभिन्न एजेंसियों को दिए गए बजट, खर्च करने की प्रक्रिया व उस पर प्रतिवेदन करने की प्रक्रिया -
परिशिष्ट - संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक -12 अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं हितग्राहियों की सूची -
परिशिष्ट - संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक -13 ऐसे लोगों की सूची जिन्हें परमिट लाईसेंस, छूट या अनुमति दी गई हो -

विभाग के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का परमिट, लाईसेंस, छूट या अनुमति नहीं दी जाती है।

बिन्दु क्रमांक -14 उक्त सर्व सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध कराना -
सहकारिता विभाग से संबंधित जनसूचना संबंधी समस्त जानकारियां की सी.डी.संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक 15- जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं, यथा इंटरनेट, वाचनालय या अन्य व्यवस्था जो जनता के लिए उपलब्ध हो का कथन -

विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं में इंटरनेट एवं वाचनालय नहीं है । जनता द्वारा सूचना मांगे जाने पर उक्त सर्व सूचना की प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकती है ।

बिन्दु क्रमांक -16 जन सूचना अधिकारी नाम , पदनाम व अन्य विवरण -

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों हेतु नियुक्त जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी से संबंधित विवरण परिशिष्ट -ई संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक -17 सरकार द्वारा प्रावधानित की गई अन्य कोई सूचना -

राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग हेतु वर्तमान में किसी भी प्रकार की सूचना दिए जाने संबंधी निर्देश प्रसारित नहीं है ।

(बी.के.ठाकुर)

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें राजनांदगांव

स्थापना कक्ष

सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन

छत्तीसगढ़ में पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जिसके अधीन अपर पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी एवं जिला कार्यालयों के अंतर्गत जिला संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक एवं तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी कार्यरत हैं। स्वीकृत विभागीय ढांचे के अंतर्गत विभाग में जिला स्तर पर 16 जिलों में से 3 जिलों में संयुक्त पंजीयक एवं 10 जिलों में उप पंजीयक एवं 3 जिलों में सहायक पंजीयक जिला अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में सहकारी संस्थाओं के नियमित अंकेक्षण हेतु 16 सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) भी कार्यरत हैं। इन जिला कार्यालयों में सहयोग के लिए तृतीय वर्ग के कार्यपालन (अंकेक्षण अधिकारी/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक/उप अंकेक्षक/लिपिक वर्गीय विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं)। तत्संबंधी जानकारी संलग्न है।

विभाग के अंतर्गत पदस्थ/कार्यरत अमले के समस्याओं का निराकरण किये जाने हेतु ही स्थापना कक्ष का गठन किया गया है।

छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/सहकारिता विभाग /गृह विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा जारी अधिकारियों/ कर्मचारियों से संबंधित आदेश/निर्देशों के तहत कार्यालय एवं मैदानी स्तर के कार्यालयों का क्रियान्वयन कराया जाता है।

सहकारिता विभाग, छ0ग0शासन द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों का विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

सहकारिता विभाग अंतर्गत प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | पदनाम | रिमार्क |
|---------|-------------------------|---------|
| 1 | पंजीयक (भा0प्र0से0) | |
| 2 | अपर पंजीयक | |
| 3 | संयुक्त पंजीयक | |
| 4 | उप पंजीयक | |
| 5 | उप संचालक (लेखा) | |
| 6 | सहायक पंजीयक | |
| 7 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | |
| 8 | अंकेक्षण अधिकारी | |
| 9 | वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | |
| 10 | सहकारी निरीक्षक | |
| 11 | उप अंकेक्षक | |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 12 | अधीक्षक | |
| 13 | मुख्य सहायक ग्रेड-1 | |
| 14 | सहायक ग्रेड-2 | |
| 15 | सहायक ग्रेड-3 | |
| 16 | शीघ्रलेखक | |
| 17 | दफ्तरी | |
| 18 | भृत्य | |
| 19 | चौकीदार | |
| 20 | वाहन चालक | |
| 21 | डाटा इन्ट्री आपरेटर | |
| 22 | फर्राश | |

विभाग अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं मैदानी कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र0 | कार्यालय का नाम | कार्यालय का पता | दूरभाष नं0 |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1 | पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 रायपुर | जेठी विला रिंग रोड नं0-1, पुराना आर0टी0ओ0 कार्यालय | 2442312 |
| 2 | संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर | घड़ी चौक, लाल गंगा काम्प्लेक्स के सामने, रायपुर | 5032428 |
| 3 | सहायक पंजीयक (अंके0) सहकारी संस्थाएं, रायपुर | घड़ी चौक, लाल गंगा काम्प्लेक्स के सामने, रायपुर | 2228185 |
| 4 | संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर | कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टर कार्या0 के पीछे, बिलासपुर | 238664 |
| 5 | सहायक पंजीयक (अंके0) सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर | कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टर कार्या0 के पीछे, बिलासपुर | 238664 |
| 6 | संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग | स्टेशन रोड, बुनकर भवन, दुर्ग | 2322376 |
| 7 | सहायक पंजीयक(प्रशा. /अंके0) सहकारी संस्थाएं, दुर्ग | स्टेशन रोड, बुनकर भवन, दुर्ग | 2322376 |
| 8 | उप पंजीयक, सहकारी | जिलाध्यक्ष कार्याल. | 224316 |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| | संस्थाएं, राजनांदगांव | भवन, रूम नं0 102, 103, 104 राजनांदगांव | |
| 9 | सहायक पंजीयक (अंके0) सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव | जिलाध्यक्ष कार्याल. भवन, रूम नं0 102, 103, 104 राजनांदगांव | 224316 |
| 10 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम | डॉ0 मदन शर्मा के मकान के पीछे दर्जीपारा, कबीरधाम | 232960 |
| 11 | सहायक पंजीयक (अंके0) सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम | डॉ0 मदन शर्मा के मकान के पीछे दर्जीपारा, कबीरधाम | 232960 |
| 12 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुंद | बस स्टैंड के पीछे ललवानी बिल्डिंग, महासमुंद | 222078 |
| 13 | सहायक पंजीयक,(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, धमतरी | बस स्टैंड के पीछे ललवानी बिल्डिंग, महासमुंद | 222078 |
| 14 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी | क्रिश्चियन हास्पिटल के पीछे नया बस स्टैंड, धमतरी | 236011 |
| 15 | सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी | क्रिश्चियन हास्पिटल के पीछे नया बस स्टैंड, धमतरी | 236011 |
| 16 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर | राजवाड़ा | 222324 |
| 17 | सहायक पंजीयक (अंके0) सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर | राजवाड़ा | 222324 |
| 18 | सहायक पंजीयक (प्रशा0) सहकारी संस्थाएं, दंतेवाड़ा | पुराना तहसील कार्यालय | 252883 |
| 19 | सहायक पंजीयक (अंके0) सहकारी संस्थाएं, दंतेवाड़ा | पुराना तहसील कार्यालय | 252883 |
| 20 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर | पुराना जिलाध्यक्ष न्यायालय परिसर | 222058 |
| 21 | सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर | पुराना जिलाध्यक्ष न्यायालय परिसर | 222058 |
| 22 | उप पंजीयक, सहकारी | पुराना जिलाध्यक्ष | 222202 |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| | संस्थाएं, कोरबा | कार्यालय भवन | |
| 23 | सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा | पुराना जिलाध्यक्ष कार्यालय भवन | 222202 |
| 24 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ | जिलाध्यक्ष कार्यालय परिसर | 222752 |
| 25 | सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ | जिलाध्यक्ष कार्यालय परिसर | 222752 |
| 26 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर चांपा | ओम स्वीट के पीछे चाकिया गली | 222274 |
| 27 | सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,(अंके.) जांजगीर | ओम स्वीट के पीछे चाकिया गली | 222274 |
| 28 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर | कलेक्टर कार्यालय, परिसर | 222717 |
| 29 | सहायक पंजीयक,सहकारी संस्थाएं अम्बिकापुर | कलेक्टर कार्यालय परिसर | 222717 |
| 30 | सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरिया | ब्याज हाई स्कूल परिसर | 232547 |
| 31 | सहायक पंजीयक,(अंके.) सहकारी संस्थाएं, कोरिया | ब्याज हाई स्कूल परिसर | 232547 |
| 32 | सहायक पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, जशपुर | जिला जेल के पीछे | 223856 |
| 33 | सहायक पंजीयक(अंके) सहकारी संस्थाएं,जशपुर | जिला जेल के पीछे | 223856 |

विभागान्तर्गत विभागाध्यक्ष /मैदानी कार्यालयों के खुलने का समय प्रातः10:30 बजे एवं कार्यालय बंद होने का समय सांयका 5.30 बजे निर्धारित है।

राज्य शासन द्वारा पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक अधिकार प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप निम्नांकित कार्यवाही की जाती है :-

- नियुक्ति :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 के तहत कार्यवाही की जाती है।
- कार्यवाही :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्यवाही की जाती है।
- दण्ड :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कार्यवाही की जाती है।
- सेवा निवृत्ति :- सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत कार्यवाही संपादित की जाती है।

- पदोन्नति :- लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के तहत कार्यवाही की जाती है।
- स्थानांतरण :- शासन के निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही की जाती है।
- अवकाश :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम-41 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों में सौंपे जाने से अवकाश स्वीकृति के अधिकार अनुसार प्रशासनिक कार्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह, सहकारिता एवं अन्य विभागों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित आदेश, निर्देश समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित किया जाता है। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में शक्तियां राज्य शासन में निहित हैं। विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से कार्यपालिक/अकार्यपालिक तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं।

पंजीयक/अपर पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयकों को मुख्यालय/मैदानी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा जारी वित्तीय पुस्तिका-1995 में प्रदत्त अधिकारों के तहत प्राप्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

सहकारिता विभाग राजनांदगांव के अधिकारियों की जानकारी

| क्र. | अधिकारी का नाम | पद | पदस्थी स्थान | दिनांक | टेलीफोन नं. |
|------|--------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| 1 | श्री सूर्यलाल विश्वकर्मा | उप पंजीयक | राजनांदगांव | 25.07.2007 | 224316 |
| 2 | श्री भूपेन्द्र ठाकुर | सहा.पंजीयक | राजनांदगांव | 24 / 10 / 1998 | 224316 |
| 3 | श्री संदीप गुप्ता | सहा.पंजीयक | राजनांदगांव | 17.04.2007 | 224316 |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव में कार्यरत सहायक ग्रेड-1 की सूची

| क्र | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थी स्थान |
|-----|-----------------|----------------------|
| | पद रिक्त | |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव में कार्यरत सहायक ग्रेड-2 की सूची

| क्र | कर्मचारी का नाम | पद नाम | वर्तमान पदस्थी सीन |
|-----|-------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | श्रीमती शांति चंद्रवंशी | सहायक ग्रेड-2 | राजनांदगांव |

सहकारिता विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सूची (सहायक ग्रेड-3)

| क्र. | कर्मचारी का नाम | पद नाम | वर्तमान पदस्थी स्थान |
|------|-------------------|--------------|----------------------|
| 1 | श्री आलोक सिंह | सहायक वर्ग 3 | राजनांदगांव |
| 2 | श्री सामलाल रावटे | ---"--- | राजनांदगांव |
| 3 | कु. अनिता नन्दे | ---"--- | राजनांदगांव |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव में कार्यरत स्टेनो टायपिस्ट की सूची

| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थी सीन |
|------|--------------------------|--------------------|
| 1 | श्री सुरेन्द्र कुमार कमल | राजनांदगांव |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची
(भृत्य / चौकीदार)

| क्र. | कर्मचारी का नाम | पद | पदस्थी सीन |
|------|---------------------|---------|-------------|
| 1 | श्री नामदेव | भृत्य | राजनांदगांव |
| 2 | श्रीमती बेदूबाई | ---"--- | ---"--- |
| 3 | श्री विश्वजीत | ---"--- | ---"--- |
| 4 | श्री बृजलाल | ---"--- | ---"--- |
| 5. | श्रीमती केशर राजपूत | ---'--- | ---'--- |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव के अंकेक्षण अधिकारी की सूची

| स.क्र. | कर्मचारी / अधिकारी का नाम | पदस्थी सीन | रिमार्क |
|--------|---------------------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री आर. खेस | राजनांदगांव | |
| 2 | श्री एम.एल. अनंत | राजनांदगांव | |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों की सूची (स्थापना)

| स. क्र. | कर्मचारी/अधिकारी का नाम | पदस्थी स्थान | रिमार्क |
|---------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री पिताम्बर ठाकुर | राजनांदगांव | |
| 2 | श्री मोतीलाल देवांगन | राजनांदगांव | |
| 3 | श्री पी.एस.लोन्हारे | राजनांदगांव | |
| 4 | श्री रघुराज सिंह | राजनांदगांव | |
| 5 | श्री दिलीप कुमार नदेश्वर | राजनांदगांव | |
| 6 | श्री एस.के.श्रीवास्तव | राजनांदगांव | |
| 7. | श्री ए.के.साहू | राजनांदगांव | |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव के सहकारी निरीक्षकों की सूची

| स. क्र. | कर्मचारी/अधिकारी का नाम | पदस्थी स्थान | रिमार्क |
|---------|----------------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री विनय कुमार श्रीवास्तव | राजनांदगांव | |
| 2 | श्री दुर्गेश कुमार तिवारी | राजनांदगांव | |
| 3 | श्री जी.एच. अंगोले | राजनांदगांव | |
| 4 | श्री दीनबन्धु ढारगवे | राजनांदगांव | |
| 5 | श्री बलिराम सोनी | राजनांदगांव | |
| 6 | श्री तुलाराम सहारे | राजनांदगांव | |
| 7 | श्री राकेश तिवारी | राजनांदगांव | |
| 8 | श्री ओम प्रकाश पटेल | राजनांदगांव | |
| 9 | श्री मदनलाल देवांगन | राजनांदगांव | |
| 10 | श्री प्रदीप कुमार बोस | राजनांदगांव | |
| 11 | श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा | राजनांदगांव | |
| 12 | श्री दुलेश्वर प्रसाद वर्मा | राजनांदगांव | |
| 13 | श्री पी.के.मेश्राम | राजनांदगांव | |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव के उप अंकेक्षक की सूची (स्थापना)

| स.क्र. | कर्मचारी/अधिकारी का नाम | पदस्थी स्थान | रिमार्क |
|--------|-------------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री शंभु सिंह पन्डे | राजनांदगांव | |

पंजीयन कक्ष

बिन्दु क्रमांक 3

पंजीयन कक्ष के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की सहकारी संस्थाओं का पंजीयन छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 9 में दिये प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। बीस या इससे अधिक व्यक्तियों अथवा संस्थाएं जिनके सदस्य केवल संस्थाएं हो, के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहकारी संस्था के पंजीयन बाबत आवेदन किये जाने पर तथा आवेदन का सुक्ष्म परीक्षण करने पर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाये जाने पर ही संस्था का पंजीयन किया जाता है। ऐसी संस्था का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक विकास के साथ सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है।

पंजीयन कक्ष में पंजीयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर पंजीयन कक्ष प्रभारी द्वारा उक्त प्रस्ताव नस्ती में अग्रिम कार्यवाही एवं सुक्ष्म परीक्षण हेतु वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक के माध्यम से सहायक पंजीयक, उप पंजीयक, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पंजीयन प्रस्ताव अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुरूप पाये जाने पर तथा धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप पंजीकृत की जाती है। त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होने से उक्त वर्गीकृत संस्था (1) शीर्ष (2) केंद्रीय (3) प्राथमिक संस्था के अंतर्गत और भी वर्गीकृत की जाती है।

पंजीकृत सहकारी संस्था अपने पंजीकृत उपविधियों में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा 11 तथा नियम 7 में दिये प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगी। पंजीयन कक्ष उसे सहायक पंजीयक के माध्यम से उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उक्त आवेदन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने पर उपविधि का संशोधन पंजीकृत किया जावेगा।

बिन्दु क्रमांक (4) :-

सहकारी संस्थाओं तथा स्वायत्त सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, पंजीयन कक्ष द्वारा सहकारी संस्थाएं सहकारी अधिनियम 1960 तथा नियम 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा स्वायत्त संस्थाओं का पंजीयन स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा समय-समय पर पंजीयक द्वारा जारी परिपत्रों के आधार पर किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक (5) :-

पंजीयन कक्ष प्रभारी के प्रभार में संस्थाओं के पंजीयन से संबंधित नस्तियां (जिसमें संस्थाओं के पंजीयन प्रस्ताव) समय-समय पर पंजीयक द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र तथा छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 रहता है। जिसके रख रखाव के लिय वह जिम्मेदार होता है।

बिन्दु क्रमांक (6) :-

पंजीयन कक्ष प्रभारी के प्रभार में निम्न दस्तावेज होते हैं :-

1. पंजी

1. आवक पंजी – कार्यालय में प्राप्त पंजीयन प्रस्ताव उपविधि में संशोधन बाबत् प्रस्ताव तथा संबंधित शिकायतें व अन्य प्राप्त पत्र दर्ज किया जाता है।
2. पंजीयन पंजी सहकारी संस्था के पंजीयन होने के पश्चात इसमें दर्ज किया जाता है।
4. उपविधि संशोधन पंजीकृत उपविधि में संशोधन के पश्चात इसमें दर्ज किया जाता है।

2. नस्तियां

1. संस्थाओं की पंजीयन नस्ती पंजीयन प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से संबंधित नस्ती।
2. उपविधियों में संशोधन बाबत् कार्यवाही उपविधियों में संशोधन बाबत् प्राप्त प्रस्तावों पर की गयी संशोधन बाबत् कार्यवाही

3. सर्कुलर

पंजीयक कार्यालय सूची संलग्न है। से जारी।
सर्कुलर फाईल (पंजीयन कक्ष)

अध्याय 9 (मैनुअल 8) निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 9.1 किस संस्था के पंजीयन से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के प्रावधानों का उपयोग किया जाता है।
- 9.2 किसी विशेष पर निर्णय लेने के लिए नस्ती कक्ष प्रभारी द्वारा सहायक पंजीयक, के माध्यम से अंतिम निर्णय हेतु नस्ती उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव को प्रस्तुत की जाती है।
- 9.3 लिये गये निर्णय को आवेदक तक पत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है।
- 9.4 नस्तियों में कक्ष सहायकों, प्रभारी तथा सहायक पंजीयक की संस्तुती निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है।
- 9.5 जिला स्तर पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव प्राधिकृत अधिकारी है।

मुख्य विषय जिस पर कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाता है का विवरण

| क्रमांक | विषय | |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | प्राथमिक स्तरीय संस्थाओं का पंजीयन | प्राथमिक स्तरीय संस्थाओं का पंजीयन/उपविधि संशोधन |
| 2 | दिशा निर्देश | छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 व नियम 1962 |
| 3 | निर्णय लेने की प्रक्रिया | कक्ष प्रभारी द्वारा नस्ती सहायक पंजीयक तथा अंतिम निर्णय हेतु उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव |
| 4 | निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम | सहायक पंजीयक, उप पंजीयक, |
| 5 | निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना | कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव फोन: 224316 |
| 6 | निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें | छ0ग0 सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधान के अंतर्गत संयुक्त पंजीयक को। |

निर्वाचन कक्ष

बिन्दु क्रमांक (3) :-

पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की ऐसी प्रबंधकारिणी समिति जिसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के नियम 41 में दी गई प्रक्रिया के तहत किया जाता है। संस्था से प्राप्त आवेदन कक्ष प्रभारी द्वारा नस्ती अग्रिम कार्यवाही हेतु व0स0नि0 और सहायक पंजीयक, के माध्यम से आदेश हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बिन्दु क्रमांक (4) :-

सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 41 में दिये गये प्रावधान के अंतर्गत तथा समय-समय पर पंजीयक द्वारा जारी परिपत्रों में दिये निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर कराया जाता है।

बिन्दु क्रमांक (5) :-

निर्वाचन कक्ष प्रभारी के प्रभार में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु किये गये आवेदन पर की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त नस्तियां होती हैं जिसकी सूची संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक (6) :-

निर्वाचन कक्ष प्रभारी के प्रभार में निम्न दस्तावेज होते हैं :-

1. संस्थाओं के निर्वाचन से संबंधित पत्राचार व उस पर हुई कार्यवाही से संबंधित नस्तियां (सूची संलग्न है)।
2. सर्कुलर – समय-समय पर शासन द्वारा जारी तथा पंजीयक द्वारा जारी निर्वाचन से संबंधित परिपत्र।

सर्कुलर (निर्वाचन कक्ष)
नस्तियों की सूची संलग्न है ।

सामान्य कक्ष

बिन्दु क्रमांक (3) :-

सामान्य कक्ष के अंतर्गत विभिन्न आयोगों को प्रेषित किया जाने वाला प्रतिवेदन, महत्वपूर्ण शिकायतें, विभिन्न बैठक से संबंधित जानकारियां तथा बैठकों का आयोजन, वृक्षारोपण निरीक्षण रोस्टर जन समस्या निवारण शिविर सिटीजन चार्टर विडियों कांफ्रेंसिंग केंद्रीय व राज्य शासन द्वारा समय पर चाही गई जानकारियां जो कार्यालय के एक से अधिक कक्षों से संबंधित होती है संकलित कर प्रेषित की जाती है।

बिन्दु क्रमांक (4) :-

उपरोक्त बिन्दु में उल्लेखित कार्यों का निष्पादन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाता है, कक्ष में प्राप्त पत्रों को सर्वप्रथम आवक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है पश्चात कक्ष प्रभारी द्वारा नस्ती के द्वारा कक्ष सहायक/प्रभारी/सहायक पंजीयक के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही तथा आदेश हेतु उप पंजीयक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तथा नस्ती में उनके द्वारा दिये निर्देशों के अनुरूप निष्पादन किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक (5) :-

सामान्य कक्ष में प्राप्त पत्रों का निष्पादन संबंधित कक्षों से प्राप्त जानकारियां, शासन से प्राप्त निर्देशों छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम, में दिये निर्देशों, मापदंडों के आधार पर की जाती है। जिसके लिये निम्नानुसार दस्तावेज रखे जाते हैं :-

रजिस्टर :-

1. आवक पंजी :- इसमें कक्ष में प्राप्त पत्रों का इंड्राज किया जाता है।

नस्तियां :-

1. प्रक्रियाधीन नस्ती :- जिन नस्तियों पर कार्यवाही विचाराधीन है।
2. नस्तीबद्ध नस्ती :- जिन नस्तियों पर अंतिम आदेश हो चुके हैं।
3. परिपत्र :- छ0ग0शासन से प्राप्त पंजीयक कार्यालय से प्राप्त

अंकेक्षण कक्ष

अंकेक्षण कक्ष द्वारा जिला स्तरीय/प्राथमिक सहकारी संस्था एवं उनकी शाखाओं एवं एक जिले से अधिक कार्यक्षेत्र वाली संस्थाओं का आडिट आबंटन प्रस्ताव अंकेक्षण आबंटन आदेश जारी करने हेतु मुख्यालय भेजा जाता है। जिला स्तर की सहकारी समितियों का अंकेक्षण टीप पारित किया जाता है। उक्त कार्यों की नस्ती का संधारण एवं प्रस्तुतीकरण वरिष्ठ अधिकारी के आदेश निर्देश पर किया जाता है।

अंकेक्षण कक्ष

**ऐनेक्स 2 के 1 से 17 बिन्दुओं की जानकारी
पारित अंकेक्षण टीप सूची संलग्न है।**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आडिट (महालेखाकार) कक्ष

महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा समय-समय पर राज्य स्थित जिला कार्यालयों की प्राप्तियां/वापसियों के लेखों की जांच में ली गई आपत्तियों/ अनियमितताओं से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन पर समयावधि में जिलों के पालन प्रतिवेदन का परीक्षण, अभिमत दर्ज करने एवं अनिराकृत कंडिकाओं के संबंध में युक्ति-युक्त कार्यवाही, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर विभागीय प्रतिवेदन एवं पत्राचार, विधान सभा लोकलेखा समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप विभागीय कार्यवाही, उपरोक्तानुसार महालेखाकार परीक्षक/लोक लेखा समिति द्वारा लिए गए निष्कर्ष के आधार पर जिला कार्यालयों के द्वारा पालन पूर्ति की सुनिश्चितता के अतिरिक्त समीक्षा एवं निर्देश।

विपणन कक्ष

अध्याय 1

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य जन सामान्य को विभागीय गतिविधियां, (विपणन, उपभोक्ता, उर्वरक कोष आदि) के कार्यों, परिपत्रों आदि के संबंध में उनके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाना है ताकि जन सामान्य की सक्रिय भागीदारी एवं योगदान में हिस्सा प्राप्त हो सके एवं कार्यों से अवगत हो सकें।
2. सहकारिता विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों, नियमों, परिपत्रों आदि की जानकारी सहकारी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/पदाधिकारियों/संस्था सदस्यों सहकारिता से जुड़े व्यक्तियों के लिए लाभ दायक एवं उपयोगी होगी।
3. इस शाखा द्वारा विपणन, विपणन संघ, उपभोक्ता, कृषि आदान, पौध संरक्षण, उर्वरक कोष विषयों से संबंधित कार्यों का निर्वहन किया जाता है।
4. कंडिका क्रमांक 3 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु कक्ष में पदस्थ श्री एन.एस. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है, जो उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव कार्यालय में सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।

अध्याय -2

विपणन शाखा के तहत प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में उनकी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान के अनुसार संस्था के कार्यों एवं दायित्वों के सफल संचालन हेतु मुख्यालयीन परिपत्र एवं दिशा निर्देश अनुरूप यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्थाएं नियमों एवं प्रावधानों का पालन करें।

छ0ग0 राज्य विपणन संघ, शाखा राजनांदगांव सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज आदि की आपूर्ति के राज्य स्तर पर एजेंसी के रूप में करता है। विपणन संघ उर्वरक कंपनियों, खाद, बीज आपूर्तिकर्ताओं से सहकारिता क्षेत्र में खाद, बीज की मांग के अनुरूप प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इस हेतु विपणन संघ के डबललॉक केन्द्रों पर उर्वरकों एवं बीज का भण्डारण किया जाता है जिसे प्राथमिक सहकारी समितियों के मांग पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि कृषकों की मांग पर संबंधित खाद, बीज यथा समय उन्हें उपलब्ध हो सके।

इसके साथ ही विपणन संघ, राज्य शासन के निर्देशानुसार अभिकर्ता के रूप में प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य करना है।

प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां अपने सदस्यों एवं कृषकों उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप खाद एवं बीज एवं कृषि यंत्र की आपूर्ति का कार्य करती है।

प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, थोक उपभोक्ता भण्डारों द्वारा सस्ती एवं उचित दरों पर खाद्यान्न सामग्री जन सामान्य को उपलब्ध करवाती है एवं उपविधि के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है।

अध्याय – 3

जिला स्तर पर पंजीकृत विपणन, उपभोक्ता आदि सहकारी समितियों के लिये सहकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार धारा 3 के तहत उप/सहायक पंजीयक को अधिकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार अधिकारियों को प्रदत्त प्रशासकीय शक्तियों के साथ ही उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लेखित कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है।

सामान्यतः सहकारी संस्थाएं, पंजीकृत उपविधि के प्रावधान के अनुरूप संचालक मण्डल ही संस्था के कर्तव्यों एवं दायित्वों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है।

अध्याय – 4

कार्यरत सहकारी संस्थाओं में उनके सदस्यों की भागीदारी एवं योगदान होता है तथा संस्था के सुचारु संचालन हेतु संचालक मण्डल एवं उनके सदस्य नीति निर्धारण एवं प्रक्रिया बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

अधिकार एवं कर्तव्य

सेवा नियम, स्टाफिंग पेटर्न, राईस मिल के लिज की अनुमति सहकारी संस्थाओं को नवीन भवन, गोदाम, अधिनियम एवं नियमों के तहत सहकारी संस्थाओं को कार्यवाही हेतु निर्देशित करना।

प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाएं

| नस्ती क्रमांक | संबंधित संस्था का नाम | विषय |
|---------------|------------------------------------------------|----------|
| 1 | विपणन सहकारी संस्था एवं प्रक्रिया, राजनांदगांव | ---''--- |
| 2 | ---''--- ---''--- डोंगरगांव | ---''--- |
| 3 | ---''--- ---''--- डोंगरगढ़ | ---''--- |
| 4 | ---'--- ---'--- खैरागढ़ | ---'--- |

स्थापना कक्ष

पेंशन प्रकरण – लंबित की जानकारी संलग्न है ।

कार्यपालिक कर्मचारियों की नस्तियों की सूची

(अ) व्यक्तिगत नस्ती एवं सेवा पुस्तिका

| क्र | विषय | विवरण |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | श्री आर.खेस्स अंकेक्षण अधिकारी | व्यक्तिगत नस्ती एवं सेवा पुस्तिका |
| 2 | „ पी.ठाकुर, वरि.सह.निरीक्षक | —’— |
| 3 | „ पी.एस.लोन्हारे, —’— | —’— |
| 4 | „ डी.के.नन्देश्वर —’— | —’— |
| 5 | „ मोतीलाल देवांगन —’— | —’— |
| 6 | „ रघुराज सिंह —’— | —’— |
| 7 | „एस.के.श्रीवास्तव —’— | |
| 8 | „ ए.के.साहू —’— | |
| 9 | „ बलीराम सोनी, सह.विस्तार अधि. | —’— |
| 10 | „मदनलाल देवांगन —’— | —’— |
| 11 | „ डी.बी.ढारगवे, —’— | —’— |
| 12 | „ तुलाराम सहारे, —’— | —’7 |
| 13 | „ ओम प्रकाश पटेल, —’— | —’— |
| 14 | „ सुरेन्द्र कुमार कमल —’— | |
| 15 | „ आई.पी.देवांगन, सहकारी निरीक्षक | |
| 16 | श्री प्रदीप कुमार बोस —’— | —’— |
| 17 | „ दुलेश्वर प्रसाद वर्मा —’— | —’— |
| 18 | „ देवेन्द्र कुमार मिश्रा —’— | |
| 19 | „ पी.के.मेश्राम, —’— | |
| 20 | „ आलोक सिंह —’— | —’— |

लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं नस्ती

| | | |
|---|--------------------------------------|-----|
| 1 | श्रीमती शांति चन्द्रवंशी, सहा.वर्ग-2 | --' |
| 2 | कुमारी अनिता नन्दे, सहा.वर्ग-2 | --' |
| 3 | श्री सामलाल रावटे, सहा.वर्ग-3 | --' |
| 4 | श्री विश्वजीत प्रधान, सहायक वर्ग-3 | --' |
| 5 | श्री नामदेव गजभिये, भृत्य | --' |
| 6 | श्रीमती बेदूबाई, भृत्य | --' |
| 7 | श्री बृजलाल यादव, भृत्य | --' |
| 8 | श्रीमती केशर राजपूत, भृत्य | --' |

स्थापना कक्ष में संधारित नस्तियां

| क्र. | विषय | रिमार्क |
|------|----------------------------------------------|---------|
| 1 | मासिक अर्द्ध शासकीय जानकारी | |
| 2 | पेंशन प्रकरण संबंधित नस्ती | |
| 3 | अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित नस्ती | |
| 4 | महालेखाकार का निरीक्षण टीप से संबंधित | |
| 5 | जी.पी.एफ.पार्ट फायलन स्वीकृति संबंधित नस्ती | |
| 6 | कमोन्नति संबंधित नस्ती | |
| 7 | स्थानान्तरण संबंधित नस्ती | |
| 8 | कार्यविभाजन संबंधित नस्ती | |
| 9 | विधान सभा प्रश्न से संबंधित नस्ती | |
| 10 | अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित नस्ती | |
| 11 | गोपनीय चरित्रावली संबंधित नस्ती | |
| 12 | अचल सम्पत्ति से संबंधित | |
| 13 | वरिष्ठता सूची से संबंधित | |
| 14 | बी.टी.आर से संबंधित नस्ती | |
| 15 | आय व्यय पत्रक नस्ती | |
| 16 | आयकर से संबंधित नस्ती | |
| 17 | वृत्तिकर से संबंधित नस्ती | |
| 18 | चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की लेखा संधारण नस्ती | |

स्थापना / लेखा कक्ष में संधारित पंजी

| क्र. | विवरण | रिमार्क |
|------|--------------------|---------|
| 1 | उपस्थिति पंजी | |
| 2 | आकस्मिक अवकाश पंजी | |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 3 | गोपनीय चरित्रावली पंजी | |
| 4 | विधान सभा प्रश्न से संबंधित पंजी | |
| 5 | समय सीमा से संबंधित पंजी | |
| 6 | बिल रजिस्टर | |
| 7 | कैशबुक रजिस्टर | |
| 8 | यात्रा भत्ता से संबंधित नस्ती | |
| 9 | इक्यूटेंस से संबंधित नस्ती | |

योजना बजट कक्ष की सूची

| नस्ती क्र. | विवरण | रिमार्क |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. राजनांदगांव को आबंटित राशि का प्रस्ताव बाबत् । | |
| 2 | जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. राजनांदगांव को आबंटित राशि का प्रस्ताव | |
| 3 | विपणन सहकारी समितियों को आबंटित राशि का प्रस्ताव बाबत् । | |
| 4 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने बाबत् | |
| 5 | लेखाशीर्ष 0050 लाभांश तथा लाभ के अन्तर्गत शासकीय अंशपूजी पर घोषित लाभांश जमा | |
| 6 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. राजनांदगांव / दुर्ग बैंक विभाजन से प्राप्त राशि से संबंधित नस्ती | |
| 7 | शासकीय ऋण / ब्याज / अंशपूजी की मांग के विरुद्ध वसूली की साप्ताहिक जानकारी वर्ष 2002-2003 से चालू नस्ती | |
| 8 | महालेखाकार ग्वालियर / रायपुर की कंडिकाओं का निराकरण नस्ती लेखा अवधि 4/84 से 3/87, 4/87 से 6/90, 7/90 से 03/01, 4/2001 से 3/2002 | |
| 9 | 7/90 से 3/2001 तक नमूना जांच टिप्पणी | |
| 10 | लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन 11/94 से 11/98, 12/98 से 3/2001, 3/2001 से 3/2002 | |
| 11 | महालेखाकार 1/89 से 11/91 तक आक्षेप | |
| 12 | चालान नस्तियां – विभिन्न सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा प्रदान की गई ऋण/अंशपूजी की वापिसी सी.सी.बी., एल.डी.बी. मार्केटिंग, भंडार | |
| 13 | सहकारी संस्थाओं /अधिकोषों / शीर्ष सहकारी संस्थाओं आदि को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए ऋण/ब्याज/दण्ड ब्याज एवं अंशपूजी की वसूली एवं शेष का विवरण | |
| 14 | आडिट रिपोर्ट 1998-99 (राजस्व प्राप्तियों) क्रमांक 1 कंडिका क्रमांक 1.1 से 1.11 तक प्रारूप क्रमांक 1 से 4 तक | |
| 15 | आडिट रिपोर्ट वर्ष 1998-99 (सिविल) क्रमांक 3 की कंडिकाओं | |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | पर बिन्दुवार जानकारी कंडिका क्रमांक 4.3.4 सूची संस्थावार | |
| 16 | लोक लेखा समिति का बीसवां प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 98-99(सिविल) क्रमांक 3 कंडिका क्रमांक 4.3.4 एवं 4.3.5 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र | |
| 17 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से निर्मित गोदाम उपयोग न हो रहे गोदामों की सूची उपलब्ध कराने संबंधित | |
| 18 | विभिन्न योजनान्तर्गत सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों को प्रदत्त किए गए ऋण का स्वीकृति आदेश वर्ष 1956-57 से | |
| 19 | विभिन्न योजनान्तर्गत विभिन्न सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों को प्रदत्त की गई अंशपूजी का स्वीकृति आदेश वर्ष 1956-57 | |
| 20 | विभिन्न योजनान्तर्गत विभिन्न सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों को प्रदत्त की गई अनुदान का स्वीकृति आदेश वर्ष 1956-57 | |
| 21 | विभिन्न योजनान्तर्गत शासन द्वारा सहकारी संस्थाओं को स्वीकृत ऋण / अंशपूजी की जानकारी(जि.सह.केन्द्रीय बैंक मर्या. राजनांदगांव से प्राप्त) | |

साख कक्ष नस्तियों की सूची

| नस्ती क्र. | विषय | रिमार्क |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | समिति प्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति बाबत् नस्ती | |
| 2 | केन्द्रीय सहकारी बैंक / भू.वि. बैंक सीधी भर्ती से संबंधित पदों से अ.जा./अ.ज.जा. के बैकलॉग के रिक्तियों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान | |
| 3 | जिला सहकारी बैंकों का सविलयन बाबत् | |
| 4 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक / भूमि विकास बैंकों का जीप किराया एवं मचकूरी नियुक्ति संबंधी नस्ती | |
| 5 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की सेवा / कार्य शर्तें (पुरानी) | |
| 6 | केन्द्रीय सहकारी बैंक स्टापिंग पैटर्न (पुरानी) | |
| 7 | सहायक समिति प्रबंधक की नियुक्ति संबंधी नस्ती | |
| 8 | भृत्य नियुक्ति संबंधी नस्ती | |
| 9 | भूमि विकास बैंकों के रिक्त पदों की पूर्ति बाबत् | |
| 10 | लीड-लिक संस्था में सहायक समिति प्रबंधक एवं विक्रेता नियुक्ति नस्ती | |
| 11 | सहकारी समितियों के कर्मचारियों का कलेक्टर दर पर नियुक्ति नस्ती | |
| 12 | जिला सहकारी संघ मर्या. राजनांदगांव को एक निम्न श्रेणी लिपिक एवं एक लेखापाल नियुक्त करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत् नस्ती | |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | जिला सह.केन्द्रीय बैंक के कर्मचारियों का पांचवा वेतनमान स्वीकृति को निरस्त करने बाबत् नस्ती | |
| 14 | कर्मचारियों के आंदोलन के संबंध में | |
| 15 | सहकारी समितियों कर्मचारियों को जिलाध्यक्ष दर पर वेतन भुगतान करने के संबंध में | |
| 16 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा स्वीकृत पांचवा वेतनमान बाबत् | |
| 17 | बैंक के सेवारत दिवंगत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की अनुकम्पा नियुक्ति की अनुमति बाबत् | |
| 18 | रिक्त पदों पर भर्ती के अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजने बाबत् सी.सी.बी. / एल.डी.बी. | |
| 19 | शीर्ष / जिला सहकारी बैंकों के अधिकारी / कर्मचारी की नियुक्ति बाबत् | |
| 20 | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कार्यरत लिपिकीय सहायक/विक्रेता की जानकारी भेजने बाबत् नस्ती | |
| 21 | पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने बाबत् | |

सहकारिता विभाग राजनांदगांव में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की कुल मासिक उपलब्धि

| क्रमांक | नाम | पदनाम | पदस्थ स्थान | वेतन मान | मूल वेतन | महंगाई वेतन | महंगाई भत्ता | मकान भत्ता | नगर क्षति. | परि. भत्ता | अन्य | कुल उपलब्धि |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | श्री एस.एल.विश्वकर्मा | उप पंजीयक | राजनांदगांव | 10000-325-15200 | 13575.00 | 6788.00 | 7127.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27490.00 |
| 2 | „ बी.के.ठाकुर | सहायक पंजीयक | राजनांदगांव | 8000-275-13500 | 11025.00 | 5513.00 | 5788.00 | 772.00 | 0 | 0 | 0 | 23098.00 |
| 3 | „ संदीप गुप्ता | सहायक पंजीयक | राजनांदगांव | 8000-275-13500 | 11300.00 | 5650.00 | 5933.00 | 791.00 | 0 | 0 | 0 | 23674.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|----------|
| 1 | श्री आर.खेस्स | अंकेक्षण अधिकारी | राजनांदगांव | 6500-200-10500 | 8500.00 | 4250.00 | 4463.00 | 595.00 | 0 | 0 | 0 | 17808.00 |
|---|---------------|------------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|----------|
| 1 | श्री पीताम्बर ठाकुर | वरि.सह. निरीक्षक | राजनांदगांव | 5500-175-9000 | 8125.00 | 4063.00 | 4266.00 | 559.00 | 0 | 0 | 0 | 17023.00 |
| 2 | „ एम.एल.देवांगन | वरि.सह. निरीक्षक | राजनांदगांव | 5500-175-9000 | 7775.00 | 3888.00 | 4082.00 | 544.00 | 0 | 0 | 0 | 16289.00 |
| 3 | „ पी.एस.लोन्हारे | वरि.सह. निरीक्षक | राजनांदगांव | 5500-175-9000 | 6900.00 | 3450.00 | 3623.00 | 483.00 | 0 | 0 | 0 | 14456.00 |
| 4 | „ डी.के.नन्देश्वर | वरि.सह. निरीक्षक | राजनांदगांव | 5500-175-9000 | 7600.00 | 3800.00 | 3990.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15390.00 |
| 5 | „ रघुराज सिंह | वरि.सह. निरीक्षक | राजनांदगांव | 5500-175-9000 | 6550.00 | 3275.00 | 3439.00 | 459.00 | 0 | 0 | 0 | 13723.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|----------|
| 6 | „ एस.के.श्रीवास्तव | वरि.सह. निरीक्षक | राजनांदगांव | 5500-175-9000 | 7425.00 | 3713.00 | 3898.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15036.00 |
| 7 | „ एस.के.साहू | वरि.सह. निरीक्षक | राजनांदगांव | 5500-175-9000 | 7425.00 | 3713.00 | 3898.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15036.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|----------|
| 1 | श्री आई.पी.देवांगन | सहकारी निरीक्षक | राजनांदगांव | 5000-150-8000 | 7550.00 | 3775.00 | 3964.00 | 529.00 | 0 | 0 | 0 | 15818.00 |
| 2 | „ बलीराम सोनी | स.वि.अ. | राजनांदगांव | 5000-150-8000 | 7700.00 | 3850.00 | 4043.00 | 308.00 | 0 | 0 | 0 | 15901.00 |
| 3 | „ तुलाराम सहारे | स.वि.अ. | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 7400.00 | 3700.00 | 3885.00 | 296.00 | 0 | 0 | 0 | 15281.00 |
| 4 | „ एम.एल.देवांगन | स.वि.अ. | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 7000.00 | 3500.00 | 3675.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14175.00 |
| 5 | „ डी.बी.ढारगावे | स.वि.अ. | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 6500.00 | 3250.00 | 3413.00 | 260.00 | 0 | 0 | 0 | 13423.00 |
| 6 | „ ओ.पी.पटेल | स.वि.अ. | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 7000.00 | 3500.00 | 3675.00 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 14455.00 |
| 7 | „ पी.के.बोस | सहकारी निरीक्षक | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 6875.00 | 3438.00 | 3610.00 | 481.00 | 0 | 0 | 0 | 14404.00 |
| 8 | „ दुलेश्वर प्रसाद वर्मा | सहकारी निरीक्षक | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 7000.00 | 3500.00 | 3675.00 | 490.00 | 0 | 0 | 0 | 14665.00 |
| 9 | „ देवेन्द्र कुमार मिश्रा | सहकारी निरीक्षक | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 6875.00 | 3438.00 | 3610.00 | 481.00 | 0 | 0 | 0 | 14404.00 |
| 10 | „ पी.के.मेश्राम | सहकारी निरीक्षक | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 7000.00 | 3500.00 | 3675.00 | 490.00 | 0 | 0 | 0 | 14665.00 |
| 11 | „ आलोक सिंह | सहकारी निरीक्षक | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 4500.00 | 2250.00 | 2363.00 | 315.00 | 0 | 0 | 0 | 9428.00 |
| 12 | „ सुरेन्द्र कुमार कमल | स.वि.अ. | राजनांदगांव | 4500-125-7000 | 4500.00 | 2250.00 | 2363.00 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 9293.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|--------|---|---|-------|---------|
| 1. | श्रीमती शांति चन्द्रवंशी | सहायक ग्रेड-2 | राजनांदगांव | 4000-100-6000 | 4600.00 | 2300.00 | 2415.00 | 322.00 | 0 | 0 | 0 | 9637.00 |
| 2 | कुमारी अनिता नन्दे | सहायक ग्रेड-2 | राजनांदगांव | 4000-100-6000 | 4100.00 | 2050.00 | 2153.00 | 287.00 | 0 | 0 | 50.00 | 8640.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|
| 1 | श्री सामलाल रावटे | सहायक ग्रेड-3 | राजनांदगांव | 3050-75-3950-80-4590 | 3500.00 | 1750.00 | 1838.00 | 245.00 | 0 | 0 | 0 | 7333.00 |
| 2 | „ विश्वजीत प्रधान | सहायक ग्रेड-3 | राजनांदगांव | 3050-75-3950-80-4590 | 3275.00 | 1638.00 | 1720.00 | 229.00 | 0 | 0 | 0 | 6862.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|-------|---------|
| 1 | श्री नामदेव गजभिये | भृत्य | राजनांदगांव | 2750-70-3800-75-4400 | 3875.00 | 1938.00 | 2035.00 | 271.00 | 0 | 0 | 50.00 | 8169.00 |
| 2 | श्रीमती बेदूबाई यादव | भृत्य | राजनांदगांव | 2550-55-2660-60-3200 | 3200.00 | 1600.00 | 1680.00 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 6530.0 |
| 3 | श्री बृजलाल यादव | भृत्य | राजनांदगांव | 2550-55-2660-60-3200 | 3080.00 | 1540.00 | 1617.00 | 216.00 | 0 | 0 | 50.00 | 6503.00 |
| 4 | श्रीमती केशर राजपूत | भृत्य | राजनांदगांव | 2550-55-2660-60-3200 | 2720.00 | 1360.00 | 1428.00 | 190.00 | 0 | 0 | 50.00 | 5748.00 |

अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं हितग्राहियों की सूची

बजट में प्रावधानित राशि अनुसार खर्च करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-11) अनुसार सहकारी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध करायी गयी जाती है।

अनुदान प्राप्त संस्थाओं की सूची

- 1 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक
- 2 विपणन समितियाँ
- 3 पैक्स / लैम्प्स
- 4 मत्स्य सहकारी समितियाँ
- 5 उपभोक्ता समितियाँ
- 6 पैक्स / लैम्प्स के अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्य
- 7 विपणन समितियों के अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य

टीप :- राजनांदगांव जिले में वर्ष 2006-07 में किसी सहकारी संस्था को अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक / समन्वय / 05 / 4080

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2005

:: आदेश ::

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत इस कार्यालय हेतु श्री सुनील तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 को जनसूचना अधिकारी, तथा उक्त धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत श्री प्रकाश खोखले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मुख्यालय को सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

सही / -

पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2005

क्रमांक / समन्वय / 05 / 4080

प्रतिलिपि :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (सहकारिता) विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. संबंधित श्री की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला.....
- 5.. समस्त राजपत्रित अधिकारी / कक्ष प्रभारी, मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

सही / -

पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक / समन्वय / 05 / 4079

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2005

:: आदेश ::

मुख्यालय एवं जिले में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध होने वाली अपील प्रकरणों की सुनवाई हेतु श्री पी.आर. नाईक, अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को अधिकृत किया जाता है।

सही / -

पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2005

क्रमांक / समन्वय / 05 / 4079

प्रतिलिपि :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (सहकारिता) विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. श्री पी.आर.नाईक अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला.....
- 5.. समस्त राजपत्रित अधिकारी / कक्ष प्रभारी, मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

सही / -

पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक / समन्वय / 05 / 4241

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2005

:: आदेश ::

सूचना के अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 05 की उपधारा 1 एवं 2 के अंतर्गत इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों में निम्नानुसार जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जो प्रावधानों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

| क्र | कार्यालय का नाम | जन सूचना अधिकारी | सहायक जन सूचना अधिकारी |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर | श्री जी0आर0 हिषीकर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री आर0के0 साहू, सहकारी निरीक्षक |
| 2 | ---"--- दुर्ग | श्री सी0एल0 गहिरवारे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री आर0सी0 वर्मा, सहकारी निरीक्षक |
| 3 | ---"--- बिलासपुर | श्री जी0आर0 कुर्रे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री एस0आर0 भगत, सहकारी निरीक्षक |
| 4 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बस्तर | श्री एम0सी0 नेताम, सहायक पंजीयक(अंके.) | श्री टी0व्ही0 रमणा, सहकारी निरीक्षक |
| 5 | ---"--- रायगढ़ | श्री पी0एल0 वस्त्राकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री जी0पी0 गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 6 | ---"--- जांजगीर | श्री एस0एस0 थवाईत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री अरुण शर्मा, सहायक ग्रेड-2 |
| 7 | ---"--- कांकेर | श्री के0एल0 उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री एच0आर0 दर्रो, सहकारी निरीक्षक |
| 8 | ---"--- धमतरी | श्री पी0आर0 रावटे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री एल0बी0शर्मा, सहकारी निरीक्षक |
| 9 | ---"--- राजनांदगांव | श्री बी.के.ठाकुर सहायक पंजीयक | श्री पी.एस.लोन्हारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक |
| 10 | ---"--- अंबिकापुर | श्री रघुराज सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री एन0पी0 वर्मा, उप अंकेक्षक |
| 11 | ---"--- महासमुंद | श्री एस0आर0 बंजारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री बी0एल0 कुंजाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक |

| | | | |
|----|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 12 | ---"--- कवर्धा | श्री डी0एल0 दीवान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री ए0के0एस0 चंदेल, सहकारी निरीक्षक |
| 13 | ---"--- कोरबा | श्री डी0के0 दिव्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | श्री ए0के0 कटेलिया, सहकारी निरीक्षक |
| 14 | सहायक पंजीयक, जशपुर | श्री पी0आर0 गाड़ा, अंकेक्षण अधिकारी | श्री आर0एस0 पैकरा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक |
| 15 | ---"--- कोरिया | श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक | श्री अर्जुनराम, सहकारी निरीक्षक |
| 16 | ---"--- दंतेवाड़ा | श्री डी0डी0 मानिक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | कुमारी विभा पाण्डे, सहकारी निरीक्षक |

सही / -

पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2005

क्रमांक / समन्वय / 05 / 4241

प्रतिलिपि :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (सहकारिता) विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला.....

सही / -

पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़